राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या –2088/2016/अजमेर

राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, नावां जिला–अजमेर .....प्रार्थी

बनाम्

1. श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री कन्हैया लाल जैन
   निवासी बादरा गली, अजमेर। मैसर्स विकास साल्ट वर्क्सट गुढ़ा नावा जिला अजमेर
   हाल निवासी भण्डारी गली, अजमेर
2. राजस्थान वित निगम, जरिये ब्रांच मेनेजर मकरान मुख्यालय, उद्योग भवन तिलक मार्ग जयपुर एण्ड ब्रांच ऑफिस मकराना जिला अजमेर .....अप्रार्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रार्थी की ओर से.

श्री रोहित सोनी
अभिभाषक .....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से.
(अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं)

दिनांक : 20.02.2018

निर्णय

1. यह निगरानी राजस्व द्वारा उप पंजीयक नावां (जिसे आगे **"अधीनस्थ न्यायालय"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 224/2012 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2016 के विरूद्व अधिनियम की धारा–65 के अर्न्तगत प्रस्तुत की गई है।
2. उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्थान वित्त निगम मकराना द्वारा अधिग्रहित एक रूग्ण ईकाई मैसर्स श्याम साल्ट इन्डट्रीज गुढ़ा साल्ट को अप्रार्थी सं. 1 प्रेम चन्द की फर्म मैसर्स विकास साल्ट वर्क्स को विक्रय का दस्तावेज संख्या 1293 दिनांक 24.11.1999 को उप पंजीयक, नावां द्वारा पंजीयन किया गया। पंजीयन के समय रूग्ण ईकाई को पंजीयन शूल्क में छूट प्रदान कर दस्तावेज का पंजीयन कर अप्रार्थी संख्या 1 को लौटा दिये गये। निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण के दौरान उक्त दस्तावेज में धारा–29 के तहत् जारी किया गया प्रमाण पत्र नहीं पाये जाने पर उक्त दी गयी मुद्रांक कर में छूट को अनियमित मानते हुए आक्षेप आरोपित कर अप्रार्थी से 23,900/– की वसूली करने हेतु उप पंजीयक, नावां को निर्देशित किया गया। उप पंजीयक द्वारा अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया किन्तु अप्रार्थी द्वारा नोटिस के उपरान्त राशि जमा न करने पर रेफरेन्स कलेक्टर (मुद्रांक), अजमेर को प्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 28.07.2006 को

लगातार.....2.

20/02/18

रेफरेन्स को निर्णित किया गया। इसके विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी में राजस्थान कर बोर्ड द्वारा दिनांक 14.03.2012 को निर्णय पारित कर उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रकरण में संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सभी विधिक बिन्दु व तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णित करें। अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक), अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.03.2016 द्वारा उप पंजीयक नावां के रेफरेन्स को विधिनुकूल नहीं होने से अस्वीकार कर दिये गया। अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक), अजमेर के आदेश दिनांक 22.03.2016 से व्यथित होकर राजस्व/विभाग द्वारा उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब बावत् मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

4. राजस्व/विभाग के उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक), अजमेर के आदेश दिनांक 22.03.2016 का खण्डन करते हुए कथन किया गया कि राजस्थान वित्त निगम द्वारा रूग्ण ईकाई मैसर्स श्याम साल्ट इण्ड. गुढ़ा साल्ट को राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 की धारा 29 के तहत् अधिग्रहित कर प्रेम चन्द फर्म मैसर्स विकास साल्ट वर्क्स को विक्रय कर उसका दस्तावेज दिनांक 24.11.99 को उप पंजीयक, नावां कार्यालय में पंजीयन करवाया गया। निगरानीधीन आदेश दिनांक 22.03.2016 राजस्थान वित्त निगम, मकराना के उप प्रबंन्धक द्वारा दिनांक 29.03.2010 को जारी पत्र के आधार पर स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की गयी। जबकि अप्रार्थी द्वारा वित्त विभाग की अधिसूचना एफ2(5)वित्त ग्रुप –4/87 दिनांक 27.11.1988 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 07.09.1992 के द्वारा बीमार एवं बन्द औद्योगिक इकाइयों की बिक्री पर वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 के तहत् अधिग्रहित करने पर मुद्रांक कर की छूट दी गयी थी। अप्रार्थी द्वारा दस्तावेज का पंजीयन कराते समय वित्त संस्थान या जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक का धारा 29 के तहत् जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। राजस्व/विभाग के उप राजकीय अभिभाषक द्वारा आगे कथन किया गया कि रूग्ण ईकाई होने को राजस्थान वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 29 के तहत् प्रमाण पत्र के अभाव में केवल राजस्थान वित्त निगम, मकराना के उपप्रबंन्ध द्वारा दिनांक 29.03.2010 को जारी पत्र के आधार पर स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान कर कलेक्टर (मुद्रांक), अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.03.2016 विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में विर्णित आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा कर निगरानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

20/02/18

लगातार.....3.

5. अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक), अजमेर के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि राजस्थान वित्त निगम द्वारा एक रूग्ण ईकाई मैसर्स श्याम साल्ट इंडस्ट्रीज राजस्थान वित्त निगम अधिनियम 1951 की धारा 29 के तहत् अधिग्रहित कर अप्रार्थी की फर्म मैसर्स विकास साल्ट को विक्रय कर दिनांक 24.11.1999 को दस्तावेज पजीयकृत कराया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीधीन आदेश दिनांक 22.03.2016 राजस्थान वित्त निगम, मकराना के उप प्रबंन्धक द्वारा दिनांक 29.03.2010 को जारी प्रमाण पत्र के आधार पर स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की गयी। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2016 में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा राजस्व/विभाग द्वारा प्रस्तुत निगरानी को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

6. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी राजस्व/विभाग निगरानीकर्ता की ओर से मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को उसमें वर्णित आधार संतोषजनक होने से निगरानी प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है तथा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जा रहा है।

7. राजस्थान वित्त निगम द्वारा रूग्ण ईकाई मैसर्स श्याम साल्ट इण्ड. गुढ़ा साल्ट को राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 की धारा 29 के तहत् अधिग्रहित कर मैसर्स विकास साल्ट वर्क्स को विक्रय कर उसका दस्तावेज दिनांक 24.11.99 को उप पंजीयक, नावां कार्यालय में पंजीयन करवा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेफरेन्स इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि वित्त विभाग की अधिसूचना एफ2(5)वित्त ग्रुप–4/87 दिनांक 27.11.1988 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 07.09.1992 के द्वारा बीमार एवं बन्द औद्योगिक इकाइयों की बिक्री पर वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 के तहत् अधिग्रहित करने पर मुद्रांक कर से छूट दी गयी थी किन्तु अप्रार्थी द्वारा दस्तावेज का पंजीयन कराते समय वित्त संस्थान या जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक का धारा 29 के तहत् जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उप प्रबन्धक राजस्थान वित्त निगम द्वारा दिनांक 19.03.2010 को जारी पत्र प्रस्तुत किया तथा उक्त पत्र उप पंजीयक अधिकारी नावां सिटी को प्रेषित है। इस प्रकार प्रथम तो अप्रार्थी द्वारा दस्तावेज पंजीयन दिनांक 24.11.1999 के समय राजस्थान वित्त निगम अधिनियम की धार 29 के तहत् जारी कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। द्वितीय दिनांक 19.03.2010 का राजस्थान वित्त निगम, मकराना का पत्र प्रस्तुत किया गया है वह अधिसूचना दिनांक 27.11.1998 व संशोधित अधिसूचना दिनांक 07.02.1992 के

20/02/18

लगातार.....4.

अनुसार धारा 29 के तहत् जारी प्रमाण पत्र की श्रेणी में नहीं आता है। अतः दस्तावेज पंजीयन के पश्चात् जारी पत्र दिनांक 19.03.2010 के आधार पर मुद्रांक शुल्क में छूट प्रदान करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटि कारित की गयी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 22.03.2016 अपास्त किये जाने योग्य है तथा राजस्व/विभाग की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. परिमाणास्वरूप राजस्व/विभाग द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकर किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक), अजमेर का निर्णय दिनांक 22.03.2016 को अपास्त किया जाता है।

9. निर्णय सुनाया गया।

20/02/18

(राजीव चौधरी)
सदस्य